संख्याः16/2025/1547/35-4-2024/35-4099/21/2022

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बदायूं ।

नियोजन अनुभाग- 4 लखनऊः दिनांकः 06 फरवरी, 2025

विषयः जनपद बदायूं में वित्तीय वर्ष 2024-25 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन राजकीय पॉलीटेक्निक, खेड़ा, बिल्सी की जी०एस०टी० की अवशेष धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद बदायूं में स्वीकृत राजकीय पॉलीटेक्नकि, खेड़ा बिल्सी, बदायूं के भवन निर्माण कार्य हेतु शासनादेश सं0-49/2020/522/35-4-2020, दिनांक 31 मार्च, 2020 द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अनुमोदित लागत रू0 2065.70 लाख (जी०एस०टी० सहित) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश सं०-157/2021/1455/35-4-2021, दिनांक 27 सितम्बर, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 832.85 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। शासनादेश सं0- 124/2022/324/35-4-2022 दिनांक 31.03.2022 द्वारा मिट्टी भराई की लागत को सम्मिलित करते हुए मूल लागत को रू0 2097.45 लाख (जी०एस०टी० सहित) पर पुनरीक्षित किया गया। शासनादेश संख्या- 154/2023/297/35-4-2023/001-35-4099/21/2022, दिनांक 28 फरवरी, 2023 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 540.30 लाख की धनराशि, शासनादेश सं0- 856/2023/2638/35-4-2023/35-4099/21/2022, दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 524.70 लाख की धनराशि, इस प्रकार अद्यतन कुल धनराशि रू0 2097.85 लाख (12% जी०एस०टी० सहित) अवमुक्त की गई है। परियोजना हेतु पुनरीक्षित लागत रू0 2097.45 लाख (जी०एस०टी० सहित) के सापेक्ष त्रुटिवश धनराशि रू० 2097.85 लाख (पुनरीक्षित लागत से रू0 40,000/- अधिक) निर्गत की जा चुकी है।

2- योजना पर स्वीकृत जी०एस०टी० की दर 12% है, परन्तु माह जुलाई 2022 के पश्चात भारत सरकार के आदेशानुसार कतिपय कार्यों/ वस्तुओं पर जी०एस०टी० की दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है।

3- उक्त के दृष्टिगत जिलाधिकारी, बदायूं के पत्र सं0-64/मा० मुख्यमन्त्री जी घोषणा/2024-25, दिनांक 27.06.2024 एवं पत्रांक-380/अर्थएवंसंख्या/त्व०अ०वि०यो०/रा०पॉली/जी0एस0टी0/2024-25 दिनांक 05.12.2024 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु जी0एस0टी0 की दर 12% से बढ़कर 18% हो जाने के फलस्वरूप बढ़ी हुई धनराशि में से अर्जित ब्याज की धनराशि रु0 6.54592 लाख एवं पूर्व में अतिरिक्त निर्गत धनराशि रु0 0.40 लाख को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

एतदद्वारा उपर्युक्त शासनादेशों से स्वीकृत धनराशि, अर्जित ब्याज की धनराशि एवं पूर्व में अतिरिक्त निर्गत धनराशि को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि रू0 50.07 लाख (रूपये पचास लाख सात हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू० लाख में)

कार्य का नाम	अनुमोदित/पुनरीक्षित लागत (12% GST सहित)	अवमुक्त धनराशि	भुगतान की गयी 18% जी०एस०टी० की	शासनादेश में सम्मिलित 12% जी० एस०टी० की	अतिरिक्त GST धनराशि	पूर्व में अतिरिक्त निर्गत धनराशि	अर्जित ब्याज की धनराशि	अवमुक्त हेतु अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि (पूर्णांक हजार में)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

			धनराशि	धनराशि					
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8	9 (6-(7+8)	10
राजकीय पॉलीटेक्नकि, खेड़ा बिल्सी, बदायूं के भवन निर्माण कार्य।	2097.45	2097.85	171.09	114.07	57.02	0.40	6.54592	50.07408	50.07

1. उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2020; दिनांक 27 सितम्बर, 2021; दिनांक 31.03.2022; 28 फरवरी, 2023 व दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 की शर्ते यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि व्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक /डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यों को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2025 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2025 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2025 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक-04 मार्च, 2024 में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रू0 50.07 लाख (रूपये पचास लाख सात हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्ष-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02 तकनीकी शिक्षा-104-बहुशिल्प-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0302- राजकीय पॉलीटेक्निक भवन निर्माण के चालू कार्य- 24 वृहत निर्माण कार्य की मद के नामे डाला जायेगा ।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक-04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्याः16/2025/1547(1)/35-4-2024/35-4099/21/2022, तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ०प्र० शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र०।
6. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7. मण्डलायुक्त, बरेली मण्डल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर ।
9. प्रबंध निदेशक, यू०पी० सिडको, लखनऊ।
10. मुख्य विकास अधिकारी, बदायूं।
11. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, बदायूं।
12. संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
13. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
14. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बदायूं ।
15. प्र0 अधीक्षण अभियंता, यू०पी० कंस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलमेन्ट कारपोरेशन लि०, बदायूं।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।